मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी
M.P. STATE HAJ COMMITTEE
मध्य प्रदेश शासन

(भारत सरकार के हज अधिनियम 2002 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)
Web Site : www.mphajcommittee.com, e-mail : mpshcbhopal@yahoo.in
Haj House, Gram Singarcholi, Behind Gulmohar Gardan, Airport Road, Bhopal-462036 (M.P.)
PH:-0755-2530139 , FAX :- 0755-2538039

REF:MPSHC/37/2022/ 323 DATE : 15/12/2021

प्रति,

जनसम्पर्क आयुक्त,
मध्य प्रदेश,
भोपाल।

विषयः—हज—2022 के ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आयु सीमा में संशोधन के संबंध में निम्न प्रेस विज्ञप्ति भेजी जा रही है जिसे राज्य के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के समस्त केन्द्रों से प्रसारित कराने बाबत्।

प्रेस विज्ञप्ति

आयु सीमा में संशोधन

हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक 4, दिनांक 14—12—2021 के माध्यम से सूचित किया गया है कि हज—2022 हेतु 65 वर्ष की आयु के प्रतिबंध को संशोधित करते हुए अब ऐसे हज आवेदक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है वह हज—2022 हेतु आवेदन कर सकते है।

उक्त ज्ञापन अनुसार 70+ आयु के इच्छुक हज आवेदक जिनकी आयु 31 मई 2022 (31 मई 1952 को या उससे पूर्व जन्म हुआ हो) को या इसके पूर्व 70 वर्ष की आयु हो रही है वह रिज़र्व श्रेणी के अंतर्गत एक कम्पेनियन के साथ आवेदन कर सकते हैं।

पूर्ण जानकारी हेतु हज कमेटी ऑफ इण्डिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर ज्ञापन क्रमांक 4 (हज—2022) का अवलोकन करें। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के दूरभाष क्रमांक 0755—2530139 पर भी संपर्क किया जा सकता हैं।

(यासिर अराफात)
प्रभारी सचिव
मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी